Regn. R.I.

सहकारी वन-श्रम संविदा समिति

की

उपविधियाँ

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
१९७१

सहकारी वन–श्रम संविदा समिति लिमिटेड की उप विधियाँ

1. समिति का नाम तथा मुख्यालय..............
2. कार्यक्षेत्र ....
3. परिभाषायें ....

विषय या प्रसंगों में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उप विधियों में :—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 11, 1966) से है;

(ख) "नियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ से है;

(ग) "प्रबन्ध कमेटी" या "कमेटी" का तात्पर्य समिति की ऐसी कमेटी से है जिसे धारा 29 के अधीन समिति के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(घ) "निबन्धक" का तात्पर्य धारा तीन की उपधारा (1) के अधीन सहकारी समितियों के निबन्धक (रजिस्ट्रार) के रूप में तत्समय नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ऐसा व्यक्ति भी है जो निबन्धक के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करें ;

(ङ) "जिला सहायक निबन्धक" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सहायक निबन्धक के रूप में जिले की सहकारिता से सम्बन्धित होने वाले समस्त कार्यों की देखरेख करने हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(छ) "उपविधियों" या उपविधियों से प्रयोजन इस समिति की रजिस्ट्री की हुई उपविधियों से है;

(ज) "समिति" से प्रयोजन ....सहकारी समिति से है;

(झ) "वर्ष" से प्रयोजन है सहकारी वर्ष से जो एक जुलाई से आरम्भ होकर आगामी 30 जून को समाप्त होगा।

उद्देश्य

4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

(अ) मुख्य उद्देश्य :—

(i) सरकार, सार्वजनिक संस्थाओं या निजी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से किसी प्रकार के निर्माण–कार्य या मरम्मत कार्य के लिये अथवा सामान (मेटीरियल्स), भण्डार वस्तुओं (स्टोर्स), उपकरण संयत्र या श्रमिक आदि की पूर्ति करने के लिये ठेका लेकर तथा इन ठेकों को सदस्यों के माध्यम से या उनके सहायता से कार्यान्वित करके सदस्यों के लिये उपयुक्त तथा लाभप्रद रोजगार (इम्पलायमेन्ट) का प्रबन्ध करना --

(ii) छोटा–मोटा काम (जाब वर्क) लेना और कार्य इस प्रकार संगठित करना जिससे सदस्यों में बेरोजगारी न होने पाये,

(iii) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त समिति के लिये उपकरण संयंत्र, मशीन, औजार, गाड़ियाँ या अन्य भन्डार वस्तुएँ खरीदना, किराये या पट्टे पर अथवा अन्य प्रकार से लेना,

(iv) सदस्यों को उनके धंधों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्यकुशलता तथा दक्षता बढ़ाना,

(v) सदस्यों के आर्थिक हितों के लिये सहायता देना,

(vi) वन की उत्पत्ति जैसे शहद, लाख, बिरोजा इत्यादि का संग्रह कराना, और उसके विक्रय का प्रबन्ध कराना,

(vii) वन के पेड़ों को व्यावसायिक पत्तियों जैसे तेंदू, मूला, साल आदि का संग्रह कराना और उसकी बिक्री का प्रबन्ध कराना,

(viii) वन में लकड़ी काटने के कार्य ठेके पर लेकर मेम्बरों से उचित पारिश्रमिक द्वारा कराना,

(ix) वनों में नये वृक्षारोपण का कार्य सदस्यों को ठेके या मासिक या दैनिक वेतन पर प्रबन्ध करना,

(x) वन उत्पत्ति जैसे बाँस आदि से सदस्यों द्वारा कुटीर उद्योग चलवाना और बनी वस्तुओं की बिक्री का उचित प्रबन्ध करना,

(xi) वनों में उत्पन्न भेषज वनस्पतियों का संग्रह कराना और उसे वैद्यों, हकीमों, अत्तारों तथा औषधि निर्माणशालाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना,

(xii) वनों में स्वीकृत प्राप्त आखेट पार्टियों को योग्य मेम्बरों द्वारा उचित पारिश्रमिक पर सहयोग उपलब्ध कराना,

(xiii) वनों में वन विभाग द्वारा नियन्त्रित सड़कों के बनाने व मरम्मत कराने के ठेके लेकर मेम्बरों द्वारा उचित पारिश्रमिक पर कार्य कराना,

(xiv) वनों में आदि वासियों जैसे कंजड़, गूजर, थारू, आदि द्वारा आखेट सामग्रियाँ जैसे खालें–सींग आदि संग्रह कर उनका निर्यात करना।

(ब) गौण उद्देश्य —

(i) उपरोक्त वर्णित कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक उपकरण और साज–सज्जा जुटाना तथा मेम्बरों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना,

(ii) मेम्बरों में पारस्परिक सहयोग, स्वावलम्बन और मितव्ययता की भावना का प्रसार करना,

(iii) मेम्बरों के परिवार की उचित चिकित्सा, शिक्षा आदि का प्रबन्ध करना

(iv) सदस्यों में परिवार नियोजन की शिक्षा का प्रचार करना और उसकी सफलता के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना,

(v) मेम्बरों के लिये उचित प्रावास, उपभोक्ता वस्तुयें, जीवन–निर्वाह की आवश्यक सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना,

(vi) मेम्बरों में मद्यनिषेध और अन्य सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम शनैः–शनैः प्रचलित कराना।

सदस्यता

5. समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :--

(i) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने रजिस्ट्री के लिए दिये जाने वाले प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर किये हों।

(ii) ऐसे व्यक्ति, जो इन उपविधियों के अनुसार सदस्य बनाये गये हों।

6. समिति में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे :--

(अ) साधारण सदस्य —

(i) कोई दक्ष या अदक्ष श्रमिक, जो १८ वर्ष से अधिक उम्र का हो, अच्छे चरित्र और स्वस्थ मस्तिष्क का हो, संविदा करने के लिये सक्षम हो और समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रहता हो, समिति का साधारण सदस्य बनने का पात्र होगा।

(ii) केन्द्रीय अथवा जिला बैंक अधिनियम के अध्याय ६ के अन्तर्गत सदस्य बन सकती है।

(iii) राज्य सरकार।

(iv) कोई अन्य निगमित निकाय निबन्धक की पूर्व अनुमति से।

(ब) सहानुभूतिकर सदस्य--

(i) अच्छे चरित्र, स्वस्थ मस्तिष्क और १८ वर्ष से अधिक उम्र का कोई ऐसा व्यक्ति भी, जो समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रहता हो तथा संविदा करने के लिये सक्षम हो, और समिति के उद्देश्यों की पूर्ति अथवा सदस्यों के हित में सहायक हों, सहानुभूतिकर सदस्य बनाया जा सकेगा ; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या किसी भी समय साधारण सदस्यों की कुल संख्या की पाँच प्रतिशत से अधिक न होगी और प्रबन्ध कमेटी में न तो दो से अधिक होगी और न अपनी कुल संख्या के १० प्रतिशत के और न प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के १/५ से अधिक होगी।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जो समिति का सहानुभूतिकर सदस्य बनना चाहता है, उसे प्रपत्र 'अ' पर समिति के सचिव को प्रार्थना-पत्र देना होगा।

(स) सम्बद्ध सदस्य--

कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी उम्र १८ वर्ष से कम हो, किन्तु १२ वर्ष से कम न हो और जो समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रहता हो, सम्बद्ध सदस्य (Associate Member) बनने का पात्र होगा यद्यपि सम्बद्ध सदस्य को समिति के कार्यों में मत देने का अधिकार न होगा परन्तु वे साधारण बैठकों में दर्शक के रूप में भाग ले सकते हैं और वह समिति के किन्हीं भी

ऋणों का देनदार न होगा। सम्बद्ध सदस्य प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा।

(द) नाममात्र सदस्य--

कोई भी व्यक्ति जिसके साथ समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो नाममात्र सदस्य बनाया जा सकता है, यदि वह अच्छे चरित्र, स्वस्थ मस्तिष्क, १८ वर्ष से अधिक आयु का हो तथा संविदा करने के लिए सक्षम हो। नाममात्र सदस्य को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और न वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र होगा। नाममात्र सदस्य को मत देने का अधिकार न होगा वे समिति के किन्हीं भी ऋणों का देनदार न होंगे।

7. सचिव या इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी उप कमेटी की सिफारिशों पर प्रबन्ध कमेटी किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनायेगी, यदि प्रबन्ध कमेटी उस व्यक्ति को सदस्य बनाना अस्वीकार करे तो वह ऐसा करने के कारणों को प्रस्ताव पास होने की तिथि के ७ दिन के अन्दर सम्बन्धित व्यक्ति को बतायेगी। सदस्य बनाना अस्वीकार किये जाने की दशा में सामान्य बैठक (General Meeting) के समक्ष अपील की जा सकेगी।

8. (क) समिति का सदस्य बनाये जाने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति इस आशय के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि यह समिति की वर्तमान उपविधियां तथा इन उपविधियों में किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन को मानने के लिये बाध्य होगा जो उसकी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायें।

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से जो समिति की रजिस्ट्री के लिये किये जाने वाले प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप पहले ही से सदस्य हो, यह अपेक्षा की जायगी कि वह रजिस्ट्री होने के एक मास के भीतर उक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करे अन्यथा उसे निकाल दिये जाने का भागी होगा।

9. मूल सदस्यों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनने के पूर्व पचास पैसे प्रवेश शुल्क देना होगा।

10. कोई सदस्य सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने का अब अधिकारी न होगा, जब तक कि वह घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर न कर दे, प्रवेश शुल्क (यदि देय हो) न दे दे और कम से कम एक अंश (Share) के लिये प्रविष्ट धनराशि का भुगतान हो।

11. (अ) प्रत्येक सदस्य लिखित घोषणा द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जिसे उसकी (सदस्य की) मृत्यु हो जाने पर उसका अंश या हित, यदि कोई हो, अदा या हस्तान्तरित किया जायेगा। नया घोषणा-पत्र भर कर समिति को देने पर नया निर्दिष्ट व्यक्ति बदला जा सकेगा। यदि नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो नाम-निर्देशन करने वाला सदस्य इस सूचना समिति को देगा और नये व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट करेगा प्रत्येक नाम-निर्देशन दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया जायगा। यदि कोई भी नाम-निर्देशन न किया गया हो अथवा नाम-निर्देशन करने वाले सदस्य की मृत्यु के पूर्व ही नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो सदस्य के अंश (Share) या हित की धनराशि ऐसे व्यक्ति को अदा या हस्तान्तरित की जायेगी जो कमेटी को सदस्य का उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो। यदि किसी नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु नाम-निर्देशन करने वाले सदस्य की मृत्यु के पश्चात् किन्तु वास्तविक भुगतान किये जाने के पूर्व हो जाय तो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति की देय धनराशि ऐसे व्यक्ति को अदा की जायेगी जो कमेटी को नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो। अवयस्क को देय समस्त धनराशियों का भुगतान उसे, उसके अभिभावक के माध्यम से किया जायेगा।

(ब) (i) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने समिति को किसी मृत सदस्य के अंश या हित को संयुक्त रूप से दाय में पाया है तो ऐसे व्यक्तियों को समिति का साधारण सदस्य बनाया जा सकता है,

(ii) अंश और अंशों के सम्बन्ध में मतदान के अधिकार के लिये ऐसे व्यक्ति, घोषणा द्वारा अपने में से किसी एक को धारा 20 के अधीन मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिये नाम-निर्दिष्ट करेंगे, जिस पर समिति अंश प्रमाणक में ऐसे व्यक्ति का नाम संयुक्त अंश धनराशियों में मुख्य नाम के रूप में लिखेगी।

12. अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए समिति का कोई सदस्य, यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी व्यक्ति के ऋण का जामिन (Surety) न हो समिति को एक मास की नोटिस देकर सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है। नोटिस की अवधि की गणना समिति द्वारा नोटिस प्राप्त करने के दिनांक से की जायगी किन्तु सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण वह उन दायित्वों से मुक्त न हो सकेगा जिन्हें उसने इन गतिविधियों के अनुसार समिति के लिए उपगत किया हो।

13. (क) यदि कोई सदस्य इन उप-विधियों के अनुसार समिति की सदस्यता के लिये अनर्ह हो जाय तो कमेटी उसे सदस्यता से हटा सकती है।

(ख) कोई भी सदस्य निम्नलिखित कारणों से सामान्य बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई के बहुमत से सदस्यता से निकाला या हटाया जायगा, यदि वह :—

(i) समिति की उसके द्वारा देय-अंश-धन (Share money) या ऋण का भुगतान निश्चित तिथि तक नहीं करता है और 6 महीने से अधिक अवधि तक बकायादार रहता है।

(ii) कोई ऐसा कार्य करता हो, जो समिति के उद्देश्यों के विपरीत या समिति के हितों के प्रतिकूल है, जैसे ऋण का दुरुपयोग करना, समिति की जानकारी या अनुमति के बिना गम्भीर प्रकार के बाह्य दायित्व उपगत करना, असत्य कथनों द्वारा समिति को धोखा देना, अथवा समिति के प्रतियोगी के रूप में निर्माण-कार्य करना।

(iii) स्थायी रूप से विकृत चित्त का हो जाय, जिससे वह कोई काम न कर सके।

(iv) अपना कार्य कमेटी द्वारा अपेक्षित स्तर से निम्न स्तर का करता है या समिति द्वारा कार्य करने के लिये कहे जाने पर कार्य करने से इन्कार करता है अथवा समिति के कार्य के सम्बन्ध में अनुशासन नहीं मानता है, जिससे समिति के हित को हानि पहुँचती हो।

(v) किसी ऐसे सामान्य आचरण का दोषी हो, जिसके फलस्वरूप उसे समिति के हित में हटाना आवश्यक हो, प्रतिबन्ध यह है कि उपनियमा-

वली १३ (क) व (ख) के अन्तर्गत किसी भी सदस्य को निकालने या हटाये जाने का प्रस्ताव तब तक नहीं पारित किया जा सकता है जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को, उन कारणों के सम्बन्ध में, जिनके आधार पर उसे हटाने या निकालने का प्रस्ताव हो, सुनवाई के लिये समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

इस प्रकार निकाले गये सदस्यों को सामान्य निकाय के निर्णय के विरुद्ध ऐसे निर्णय के दिनांक से दो माह के भीतर निबन्धक के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। निबंधक की आज्ञा सम्बद्ध पक्षों के लिये अन्तिम रूप से अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुये मान्य होगी।

14. उप-नियमावली १३ (क) व (ख) के अधीन निकाला गया कोई सदस्य उस तिथि से, जब निकाले जाने का संकल्प प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से ३ वर्ष की अवधि के लिए समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन में खड़े होने का भी पात्र न होगा। निकाले गये सदस्य द्वारा देय समस्त अदत्त धनराशियों, नियत किस्तों का, यदि कोई हो, विचार किये बिना उससे एक ही बार में वसूल की जा सकती है।

15. किसी सदस्य को, जिसने समिति से त्याग-पत्र दिया हो या जिसे समिति से हटाया अथवा निकाला गया हो, या जो मर गया हो और जिसका नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति समिति का सदस्य न बनाया गया हो, उस समय तक उसके अंश की धनराशि निकालने की अनुज्ञा न दी जायगी जब तक कि उसने मुख्य ऋणी (Principal Borrower) या जामिन के रूप में उसके द्वारा देय समस्त धनराशि का भुगतान न कर दिया हो और उक्त अधिनियम की धारा २४ या २५ में, जैसी भी दशा हो, नियत अवधि व्यतीत न हो गई हो। किसी एक वर्ष में निकाली या वापस की गई कुछ अंश-पूंजी समिति की कुल दत्त अंश-पूंजी (Paid up Share Capital), जैसी कि वह पिछली ३० जून को थी, की १० प्रतिशत से अधिक न होगी। वापिस न किये गये अंशों की धनराशि पर ब्याज ऐसी दर से, जो पिछली बार घोषित लाभांश (Dividend) की दर से

अनधिक होगा, ऐसे दिनांक तक अदा किया जायगा जिसे समिति भुगतान करने के लिये निश्चित करे।

दायित्व

16. समिति के परिसमापन पर उसके ऋणों के लिये सदस्यों का दायित्व (सम्बद्ध और नाममात्र सदस्यों को छोड़कर जिनका दायित्व उनके द्वारा भुगतान किये गये धन के बराबर ही होगा) उनके द्वारा अभिदत्त (Subscription) अंश/अंशों के अभिहित मूल्य (Nominal Value) के दुगुने तक ही सीमित होगा (उसके ऊपरी समिति के निजी बकाया के अतिरिक्त)।

निधियाँ

17. समिति की निधियां निम्नलिखित में से एक या समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है:—

(क) अंश (Share),
(ख) ऋण तथा निक्षेप (Loans and Deposits),
(ग) दान,
(घ) विशेष अभिदान (Special Subscription),
(ङ) प्रवेश शुल्क,
(च) अन्य प्राप्त सहायतायें,
(छ) रक्षित (Reserve) तथा अन्य निधियाँ, और
(ज) अवितरित लाभ।

18. समिति की अंश पूंजी...... रुपये प्रति अंश के मूल्य की अनिर्धारित अंशों की संख्या में होगी।

19. (i) प्रत्येक साधारण अथवा सहानुभूति कर सदस्य कम से कम एक अंश अवश्य खरीदेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति विशेष सदस्य समिति के कुल अंशों की संख्या का १/५ अथवा ५,००० रुपये, जो भी कम हो, से अधिक मूल्य के अंश न खरीद सकेगा।

(ii) साधारण अंशों का मूल्य एक साथ अथवा निश्चित की गई किस्तों में अदा करेगा।

(ii) वार्षिक लेखा विवरण (Annual Statement of Accounts), आय-व्यय का चिट्ठा (Balance Sheet) तथा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना,

(iii) अधिनियम तथा नियमों और निबन्धक द्वारा जारी की गई किसी सामान्य आज्ञा, जो समिति पर लागू होती हो, के अनुसार लाभांश का निस्तारण,

(iv) वर्ष में समिति द्वारा उपगत किये जाने वाले अधिकतम दायित्व को अधिनियम तथा नियमों के अनुसार निश्चित करना,

(v) समिति के वार्षिक बजट तथा सामान्य नीति एवं कार्यक्रम पर विचार करने के पश्चात् स्वीकृति देना ;

(vi) कमेटी द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई अन्य कार्य ;

(vii) गत सहकारी वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा तैयार किये गये सारांश पर विचार, सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।

28. साधारण सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जा सकते हैं :—

(i) सदस्यों के भरती किये जाने, हटाये जाने तथा निकाले जाने और अंशों के हस्तान्तरण की पुष्टि करना,

(ii) समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत समिति के कार्यकलापों के महत्व-पूर्ण विस्तार या सुधार के सम्बन्ध में विचार करना,

(iii) किसी साज-सज्जा (Equipment) जिसके अन्तर्गत वाहन भी है या भवनों के निर्माण पर व्यय क. जाने वाली धनराशि या उसकी अधिक-तम सीमा नियत करना,

(iv) .... रु० से अधिक के ठेके स्वीकार करना,

(v) लाभ, बेरोजगारी, दुर्घटना तथा सेवा-निवृत्त-वेतन (Pension) सम्बन्धी निधियों का सृजन और उनके लिये नियम बनाना,

(vi) कोई अन्य कार्य जिसे करने के लिये कमेटी सक्षम हो,

(vii) कमेटी के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनना, जैसा कि इन उप-विधियों में व्यवस्थित है।

29. प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, भले ही उसके अंश कितने भी क्यों न हों, प्रतिपत्रों (Proxy) द्वारा कोई मतदान नहीं होगा।

30. सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रश्न, अधिनियम नियमों तथा इन उपविधियों में दिये गये किसी निदेश के अधीन रहते हुये बहुमत से निर्णीत होंगे। मतों की संख्या समान होने को दशा में सभापति को एक और या निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार होगा।

31. ऐसे समस्त विषय, जिनके सम्बन्ध में सामान्य बैठक में चर्चा की गई हो या निर्णय लिया गया हो कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित किये जायेंगे और इस पुस्तक पर बैठक का सभापति (चेयरमैन) तथा सचिव हस्ताक्षर करेगा।

प्रबन्ध कमेटी

32. समिति के काम का प्रबन्ध एक कमेटी करेगी, जो प्रबन्ध कमेटी कहलायेगी जो कि वार्षिक साधारण बैठक द्वारा चुने गये तथा मनोनीत सदस्यों को मिला कर संगठित होगी। कमेटी इस बात के लिये उत्तरदायी होगी कि समिति का कार्य सुचारुरूप से चले।

33. कमेटी में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(i) सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित सात या नौ सदस्य, जिनके अन्तर्गत उन्हीं में से सभापति और उप-सभापति भी हैं,

(ii) निबन्धक का एक निर्दिष्ट व्यक्ति,

(iii) राज्य सरकार द्वारा विशेष सदस्य की हैसियत से प्रबन्ध कमेटी में दो निर्दिष्ट व्यक्ति।

यदि राज्य सरकार द्वारा अंशदान की हुई अंश-पूँजी समिति की कुल अंश-पूँजी के ६० प्रतिशत या उससे अधिक हो तो राज्य सरकार को प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई सदस्यों तथा प्रबन्ध कमेटी के सभापति को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा और इस अधिकार का प्रयोग पूँजी में राज्य सरकार का अंश ६० प्रतिशत या उससे अधिक हो जाने से ५ वर्ष की

अवधि पर्यन्त अथवा पूँजी में ऐसा अंश घट कर ५० प्रतिशत से कम हो जाने तक, जो भी पहले हो, किया जा सकता है।

34. प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन सहकारी वर्ष का होगा जिसके अन्तर्गत उनके निर्वाचन का सहकारी वर्ष भी शामिल रहेगा। परन्तु निर्वाचित सदस्य तब तक पद ग्रहण किए रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट न हो जायँ। प्रबन्ध कमेटी का कोई नाम-निर्दिष्ट सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि नाम-निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी की इच्छा हो। कोई भी सदस्य प्रबन्ध कमेटी में सदस्य के रूप में निर्वाचित या आयोजित किए जाने के लिए पात्र न होगा यदि वह नियमों के प्राविधानों के अधीन अनर्ह हो।

35. यदि कमेटी के सदस्यों में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो उसकी पूर्ति अव्यतीत अवधि के लिए शेष सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों में से सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में, जिस श्रेणी के सदस्यों का स्थान रिक्त हुआ हो, की जा सकती है।

36. कोई भी सदस्य प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा यदि —

(i) वह २१ वर्ष से कम उम्र का हो।

(ii) वह दिवालिया घोषित किया गया हो।

(iii) वह विकृत-चित्त, बहरा, गूंगा, अन्धा या कोढ़ी हो।

(iv) उसे निबन्धक की राय में, नैतिक पतन, समन्वित अपराध के लिये दन्ड दिया गया हो और ऐसा दन्ड अपील में रद्द न किया गया हो।

(v) वह, या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य, निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्य-क्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो जो समिति करती हो।

(vi) वह अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ उसकी ओर से कोई व्यापार या संविदा करे।

(vii) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो।

(viii) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो।

(ix) वह पर्याप्त कारणों के बिना प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(x) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, जबतक कि दोष सिद्ध के दिनांक से ३ वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो।

(xi) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा ९१ के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो।

(xii) यदि वह अपने द्वारा लिए गए किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में समिति या अन्य किसी सहकारी समिति का कम से कम ६ माह से अधिक अवधि से बाकीदार हो।

(xiii) वह सहकारी सेवा या किसी सहकारी समिति अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिन्ता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो।

(xiv) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा धारा ७२ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो।

(xv) वह समिति का सदस्य न रहे।

(xvi) वह पद त्याग करे, जिसके लिए एक मास का नोटिस देना आवश्यक है।

(xvii) वह अधिनियम और नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

37. कमेटी की बैठकें उतनी बार होंगी जितनी बार समिति के कार्य के लिये उनकी आवश्यकता हो और हर दशा में बैठकें एक मास से अनधिक की

अन्तरविधि पर हुआ करेंगी। साधारणतया कमेटी की बैठक के दिनांक से पूर्व प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस दिया जायगा। आपातिक दशाओं में सभापति इससे कम अवधि का नोटिस देकर भी बैठकें बुला सकता है।

38. किसी कार्य के निस्तारण के लिये निर्वाचित सदस्यों के एक-तिहाई या तीन सदस्य, जो भी कम हो, की उपस्थिति अपेक्षित होगी। सभापति की अनुपस्थिति में उप-सभापति बैठक की अध्यक्षता करेगा। सभापति तथा उप-सभापति दोनों की अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य, जो बैठक द्वारा सभापति के रूप में निर्वाचित किया जाय, बैठक की सभापतित्व करेगा।

39. प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। मतों की संख्या बराबर होने पर सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

40. (अ) कोई सदस्य न तो किसी ऐसे विषय की चर्चा में भाग लेगा और न उसमें मत देगा, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

(ब) समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई भी सदस्य, समिति के प्रति उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिये, समिति से सिवाय नियमों के अनुसार सामान्य निकाय द्वारा निश्चित धनराशि के कोई धनराशि नहीं ले सकेगा।

41. कमेटी की बैठक में जिन-जिन विषयों की चर्चा हुई हो या जिन पर निर्णय लिये गये हों, उन्हें कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित किया जायगा। बैठक का सभापति तथा सचिव इन पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेंगे।

42. कमेटी के निम्नलिखित अधिकार तथा कर्त्तव्य होंगे :—

(i) सचिव की सिफारिश पर सदस्य बनाना और उन्हें अंश-प्रदिष्ट करना।

(ii) सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार करना।

(iii) नियम तथा इन उपविधियों के अनुसार अंशों के हस्तान्तरण तथा उन्हें वापस देने की स्वीकृति देना।

(iv) इन उपविधियों के अनुसार की जाने वाली अपेक्षित बैठकों का प्रबन्ध करना और वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष ऐसे अन्य विवरणों के साथ जिनकी निबंधक अपेक्षा करें, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित आय-व्यय का चिट्ठा और लाभांश का निस्तारण प्रस्तुत करना।

(v) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षित वार्षिक चिट्ठा प्रकाशित करना।

(vi) समिति को निधियों तथा अन्य बहुमूल्य प्रतिभूतियों को प्राप्त करने, उन्हें बांटने और सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध करना,

(vii) निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में खाता खोलना।

(viii) उन सीमाओं को निर्वाचित करना, जिन सीमाओं तक सभापति तथा सचिव आकस्मिक व्यय कर सकते हैं और बाद में ऐसे व्यय का अनुमोदन करना।

(ix) समिति की ओर से उस धनराशि तक ऋण या पूँजी लेना जो उस वर्ष के लिये वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा निश्चित और निबन्धक द्वारा अनुमोदित अधिकतम दायित्व से अधिक न हो।

(x) ऋणों, जमा धनराशियों तथा उधार ली हुई अन्य रकमों पर ब्याज की दर निश्चित करना।

(xi) समिति के किन्हीं या समस्त वैतनिक या अवैतनिक अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त करना उन्हें पदच्युत करना, निलम्बित करना या अन्यथा दंड देना और उनमें किसी एक या सभी से प्रतिभूति देने की अपेक्षा करना किन्तु सचिव की दशा में अधिनियम की धारा १२१ व १२२ के प्राविधानों के अधीन रहते हुये उनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें, निलम्बन तथा पदच्युति करना।

(xii) समिति के किन्हीं सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्तिके माध्यम से समिति के कार्यों के सम्बन्ध में समिति या कमेटी या कर्मचारी द्वारा या उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों का संस्थापन, संचालन, प्रतिवाद, समझौता करना, मध्यस्थ निर्णय के लिये अभि-दिष्टि या परित्याग।

(xiii) यह देखना कि समिति का शासन अधिनियम, नियम तथा उपविधियों व सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार संचालित किया जाता है।

(xiv) लेखे का निरीक्षण तथा उसकी जाँच करना।

0 R.C. 2—1972.

(xv) यह सुनिश्चित करने के लिये कि समिति का प्रकाशन इन उपविधियों के अनुसार संचालित होता है, लेखे की जाँच-पड़ताल तथा परीक्षण और समिति के कार्य-संचालन के लिये समुचित प्रबन्ध करना।

(xvi) जाँच तथा लेखा परीक्षण की टिप्पणियों पर विचार करना और उनका पालन करना तथा उस पर समिति की अगली सामान्य बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(xvii) समिति को देय समस्त धनराशि की वसूली करना तथा समिति की ओर से की गई समस्त संविदाओं के संबंध में समिति के विरुद्ध समस्त दावों की जांच करना और उनका निपटारा करना।

(xviii) कार्य तथा शर्तें आदि के संबंध में विनियम बनाना किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके लिये सामान्य बैठक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(xix) कोआपरेटिव बैंक या किसी अन्य सहकारी समिति से समिति की ओर से अंश प्राप्त करना तथा ऐसी समिति या समितियों के सामान्य निकाय के लिये नियमानुसार प्रतिनिधि चुनना।

(xx) (अ) कमेटी समिति की ओर से सार्वजनिक अथवा निजी निर्माण-कार्य के निष्पादन अथवा अमानी के (Piece Work) या छोटे-मोटे फुटकर कार्य आरम्भ करने के निमित्त संविदे करने के लिये सक्षम होगी। ये निर्माण-कार्य सदस्यों के माध्यम से अथवा उनकी सहायता से निष्पादित किये जायेंगे। कार्य या सदस्यों के समूहों को संविदे देकर अथवा उन्हें दैनिक मजदूरी पर या अमानी के कार्य पर नियोजित करके निष्पादित किया जा सकता है यदि पर्याप्त संख्या में नियोजित कर सकती है, जो समिति द्वारा लिये गये किसी भी कार्य को करने के लिये आवश्यक हों और उन्हें उतना पारिश्रमिक दे सकती है, जो सूचित हो। कमेटी सदस्यों के साथ उन्हें सौंपे गये कार्य अथवा कार्यों या दिन-प्रति-दिन दिये गये कार्यों के उचित सम्पादन के लिये अनुबद्ध कर सकती है।

(ब) निर्माण अथवा मरम्मत अथवा सामग्रियों, भण्डार-वस्तुओं, औजार, संयंत्र या श्रमिक आदि का सम्भरण करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संविदे के लिये सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुबन्ध करना और उनसे सभी अधिकार, रियायतें या विशेषाधिकार आदि प्राप्त करना, जो समिति या उसके उद्देश्यों के लिये उपयोगी प्रतीत हो और ऐसी प्रत्याभूति देना या क्षतिपूर्ति (Indemnity) करना जो उपर्युक्त प्रयोजन के लिये इष्ट कर लेंगे।

(xxi) समिति की ओर से समिति के कार्य सम्बन्ध में उपयोग से लाये जाने वाले उपकरणों, मशीनों, हिस्सों, उपसाधनों (Accessories) या अन्य चल सम्पत्ति का खरीदना, बेचना, किराये पर लेना या अन्यथा अर्जित अथवा निस्तारित करना।

(xxii) साधारण मरम्मत करने की दूकानें स्थापित करना, उन्हें चलाना तथा उनका नये सिरे से सुधार करना (Overhaul)।

(xxiii) सामान्य बैठक में निर्धारित किसी नीति के अनुसार समिति की मशीनों तथा अन्य सम्पत्ति के बीमे (Insurance) का प्रबन्ध करना।

(xxiv) समस्त सम्भरणों (Supplies) के क्रय तथा विक्रय की शर्तें निर्धारित करना और उक्त परिसम्पत्तियों (Assets) को जब वे स्टाक में हों, सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध करना।

(xxv) समिति द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों के निष्पादन का कार्यक्रम निश्चित करना, सदस्यों को काम प्रदिष्ट करना (Allot) और समिति के उपक्रमों (Undertaking) में काम करने वाले प्रत्येक वर्ग के श्रमिकों को अदा की जाने वाली मजदूरी का मान (Scale) निर्धारित करना

(xxvi) यह देखना कि सदस्य निर्दिष्ट समय के भीतर अपना काम पूरा कर ले।

(xxvii) सामान्य बैठक द्वारा बनाई गई विनियमावली के अधीन रहते हुये लाभ तथा बेरोजगारी निधियों (Benefits and Employment Funds) दुर्घटना तथा निवृत्तिक-वेतन निधियाँ (Accident and Pension Funds) से सहायता देने की अनुज्ञा देना।

(xxviii) सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों पर अर्थ-दण्ड, शास्ति या क्षति-पूर्ति (damages) आरोपित करना तथा उनकी वसूली का प्रबन्ध करना।

(xxix) उप विधि ४४ के अधीन सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को अग्रऋण देने की अनुमति देने तथा अग्रऋणों और उन पर हुये व्याज की वसूली का प्रबन्ध करना।

(xxx) सदस्यों को दिये जाने वाले छोटे-मोटे ऋणों की अवधि और व्याज दर की शर्तें नियत करना, प्रतिभूति का अनुमोदन या उसे अस्वीकार करना, ऋण तथा व्याज की वसूली का प्रबन्ध करना और बीत काल किस्तों पर सामान्य बैठक द्वारा निर्धारित दन्ड व्याज आरोपित करना और वसूलना और जब आवश्यक हो तो नवीनीकरण की स्वीकृति देना। ऋणी द्वारा देय ऋण उसके एक मास के वेतन या उसकी अनुमति मासिक आय से अधिक न होगा।

(xxxi) यह देखना कि अग्र ऋण तथा छोटे-मोटे ऋण उस अनुमोदित प्रयोजन के निमित्त काम में लाये जाते हैं, जिसके लिये उनकी आवश्यकता थी।

(xxxii) ऐसी अधिकतम धनराशि नियत करना जिसे कोषाध्यक्ष अभिरक्षा में रख सकें।

(xxxiii) समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित समस्त पत्रों तथा सलेखों (Instruments) पर हस्ताक्षर करने के लिये किसी सदस्य को अधिकार देना।

(xxxiv) समिति के कार्य की विभिन्न शाखाओं की देख-रेख करने के लिये उप-समितियों को नियुक्त करना और उन्हें, सभापति को तथा सचिव को अपने ऐसे अधिकार सौंपना जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(xxxv) बजट तैयार करना और उसे वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष रखना।

(xxxvi) सदस्यों की दक्षता तथा कार्य-क्षमता में सुधार करने के लिये उचित उपाय करना और ऐसे कृत्य तथा अन्य कार्य करना, जो समिति के उद्देश्यों से संगत हों और समिति के प्रशासन, तथा हित से सम्बद्ध हों।

(xxxvii) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण समिति के सचिव की सहायता से वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करने हेतु तैयार करना।

(xxxviii) किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को समिति के रिकार्ड्स रखने के लिए अधिकृत करना।

(xxxix) अधिनियम नियमों इन उपविधियों तथा सामान्य निकाय द्वारा प्रदत्त अन्य समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा आरोपित किए गए कर्त्तव्यों का पालन करना जो समिति के कार्यों के सुकर संचालन के लिए आवश्यक हों।

43. समिति के कार्य-संचालन करने में कमेटी के सदस्य साधारण व्यवसायी की तरह विचारशील तथा उद्यमी होकर कार्य करेंगे और अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के प्रतिकूल कोई कार्य न करेंगे।

44. (अ) सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ-प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा, और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन होगा जो अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किए जायें। उपस्थित रहने पर वह सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी का सभापतित्व करेगा।

(ब) उप-सभापति, सभापति की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों का सभापतित्व करेगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुये सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किए जायें।

(स) सभापति तथा उप-सभापति का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के बराबर होगा। सभापति और उप-सभापति अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित हो जाने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

<u>सचिव</u>

45. समिति का एक सचिव होगा जिसकी नियुक्ति धारा १२० के उपबन्ध के और धारा १२१ और १२२ के अधीन बनाये गए विनियमों के उपबन्ध तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए निबन्धक की पूर्व अनुमति से प्रबन्ध कमेटी द्वारा की जायगी।

46. (i) सचिव का समिति का मुख्य कार्यपाल अधिकारी होगा जो सभापति प्रबन्ध कमेटी के ऐसे नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए।

जिसकी व्यवस्था नियमों तथा इन उपविधियों की, वह समिति के कार्य के प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशंसन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा।

(iii) इन उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उसके लेखों का परिचालन करेगा और उस व्यवस्था को छोड़कर जब समिति का कोई रोकड़िया या कोषाध्यक्ष हो, उसकी रोकड़ बाकी का प्रबन्ध करेगा तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(iv) समिति की ओर से हस्ताक्षर करना तथा उसका पत्र-व्यवहार करना।

(v) सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की कार्यवाहियाँ अभिलिखित करना और उस पर और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और इस अधिनियम, नियमों के अनुसार यथाविधि हस्ताक्षर करना।

(vi) समिति को विभिन्न बहियों तथा उन उपविधियों और विवरण-पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(vii) समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।

(viii) समिति की पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की प्रतियों को प्रमाणित करना।

(ix) कमेटी द्वारा नियत सीमा के भीतर आकस्मिक व्यय करना और बाद में उसे अनुमोदित करना।

(x) उधार लेने वालों से ऋणों तथा अग्रऋणों के लिये बंध-पत्र निष्पादित कराना या रसीद लेना और ऐसे अन्य कतव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

(xi) कमेटी ऐसे अन्य लिपिक तथा पर्यवेक्षण कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जो सचिव को उसके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये आवश्यक हों।

कोषाध्यक्ष

47. आवश्यकता पड़ने पर, धारा १२० के उपबन्धों और धारा १२१ और १२२ के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रबन्ध कमेटी समिति के लिए एक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। इस प्रकार

नियुक्त कोषाध्यक्ष नीचे लिखे कार्य करेगा। यह समिति द्वारा प्राप्त समस्त धन की जिम्मेदारी लेगा तथा उसका संवितरण अध्यक्ष, कमेटी या सचिव के निदेशों के अनुसार उसे दिये गये अधिकारों के भीतर करेगा। उसे ऐसी प्रतिभूति देनी होगी जिसे कमेटी पर्याप्त समझे।

48. कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कमेटी सदस्यों में से किसी एक को समस्त प्राप्त धन की जिम्मेदारी लेने और साधारणतः कोषाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति इस प्रकार प्राप्त धन को कोषाध्यक्ष की वापसी पर तुरन्त उसे सौंप देगा।

49. उपविधियां 47 तथा 48 के अधीन कमेटी द्वारा नियुक्त कोषाध्यक्ष अथवा कोई व्यक्ति सामान्यतः इतनी रोकड़ शेष (Cash Balance) अपने पास रखेगा, जो कमेटी द्वारा नियत सीमा से अधिक न हो। इस प्रकार नियत सीमा से अधिक प्राप्त समस्त रोकड़े नगदी कमेटी द्वारा चुने गये और निबन्धक द्वारा अनुमोदित बैंक में अथवा डाकघर के बचत बैंक में जमा किया जायगा। समिति की ओर से निष्पादित किये गये समस्त चेकों अथवा अन्य सलेखों पर सचिव तथा कोषाध्यक्ष और इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी एक पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

निक्षेप (Deposits)

50. सदस्यों अथवा सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों से नियत अवधियों (Fixed terms) के लिये निक्षेप।

51. (क) सदस्य निम्नलिखित प्रकार के निक्षेपों में से कम से कम एक में रुपया जमा कर सकता है :—

(i) विशिष्ट उद्देश्यों के लिये निक्षेप,

(ii) विशिष्ट अवधियों के लिये निक्षेप,

(iii) लाभार्थ तथा बेरोजगारी-निधि-निक्षेप,

(iv) घरेलू बचत-सुरक्षा-निक्षेप (Home Savings Safe Deposits)।

(ख) उक्त निक्षेप समिति द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा विनियमित होंगे, किन्तु उनके लिये निबंधक का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ग) कमेटी की स्वीकृति से सदस्य किसी ऐसी अवधि के लिये जमा करने के दायित्व से मुक्त किया जा सकता है, जिसमें उसकी परिस्थिति उक्त भुगतान करने योग्य न हो।

अन्य उधार धनराशियाँ

52. कमेटी विक्षेपों के अतिरिक्त अन्य प्रकार से या तो, सदस्यों से अथवा जिला सहकारी बैंक से निधियाँ उधार लेने के लिये सक्षम होगी, किन्तु प्रतिबंध यह है कि उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज किसी भी दशा में वित्तपोषक (Financing) को आपरेटिव बैंक के उधार देने की दर से अधिक न होगा। समिति निबंधक की अनुमति के बिना किसी अन्य समिति से न तो ऋण अग्रिम धनराशि या निक्षेप लेगी और न उसे देगी।

53. (क) अग्रऋण श्रमिक सदस्य या सदस्यों के समूह को उन प्रयोजनों के लिये दिया जायगा, जो उन्हें सौंपे गये कार्य को यथोचित रूप से पूरा करने के लिये आवश्यक हों।

ऐसे अग्रऋण पर.......................से अनधिक की दर से ब्याज लिया जायगा।

(ख) अग्रऋण किसी व्यक्ति द्वारा एक मास में किये जाने वाले कार्य के अनुमानित मूल्य के आधे से अधिक न होंगे और ये किस्तों में दिये जायेंगे।

(ग) उधार लेने वाला, प्रत्येक अग्रऋण के लिये बन्ध-पत्र या रसीद निष्पादित करेगा और प्रत्येक दशा में प्रतिभूति देगा।

(घ) किसी नये कार्य के लिये तब तक नया अग्रऋण न दिया जायगा जब तक कि पिछले अग्रऋण का पूरा भुगतान न कर दिया गया हो। प्रत्येक अग्रऋण सम्बद्ध सदस्यों को देय पारिश्रमिक या अन्य धनराशियों से वसूल किया जायगा। जब अग्रऋण सदस्यों के किसी समूह को दिया गया हो तो पूरा समूह अग्रऋण की वापसी के लिये संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक् उत्तरदायी होगा।

(ङ) यदि कमेटी को यह प्रतीत हो कि अदत्त ऋण या अग्रऋण की प्रतिभूति अपर्याप्त हो गई हो, तो वह उधार लेने वाले से पर्याप्त प्रतिभूति देने के लिये कहेगी और उसके न देने पर ऋण या अग्रऋण तुरन्त वापस करने को कहेगी यदि कमेटी को यह प्रतीत हो कि ऋण या अग्रऋण उस प्रयोजन में नहीं लाया गया है जिसके लिये उसे लिया गया था तो उसे वापस माँगा जा सकता है।

सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति

54. (क) कमेटी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये वस्तु आदेशों (Indent) अथवा सदस्यों की निश्चित आवश्यकताओं के आधार पर समिति की दत्त पूंजी के दुगने तक सदस्यों की घरेलू आवश्यकताओं तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रबन्ध कर सकती है। समिति को दत्त अंश-पूंजी के दुगने से अधिक निधि लगाने के लिये निबन्धक की अनुज्ञा लेना आवश्यक होगा।

(ख) सदस्यों के लिये आवश्यक वस्तुओं का क्रय करने तथा वितरण करने के संबंध में सहाय (Subsidiary) विनियम बनाने के लिये कमेटी सक्षम होगी।

लाभ तथा बेरोगारी निधि

55. समिति लाभ तथा बेरोजगारी निधि का सृजन और अनुरक्षण करेगी तथा तदर्थ विनियम बनायेगी।

निधि निम्नलिखित प्रकार बनेगी :—

(क) शुद्ध लाभों से प्राप्तियाँ,

(ख) उपविधि ४२ (२८) के अधीन आरोपित शास्तियाँ तथा अर्थ-दण्ड,

(ग) दान तथा अंशदान।

56. यदि कोई सदस्य बीमारी या दुर्घटनावश पन्द्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिये मजदूरी कमाने के योग्य न हो तो कमेटी उसके लिये लाभ तथा बेरोजगारी निधि से १० रु० मासिक से अधिक की दर से निर्वाह भत्ता, स्वीकृत कर सकती है, जो उसकी असमर्थता के सोलहवें दिन से प्रारम्भ होगा। यदि समिति उक्त धनराशि से अधिक निर्वाह भत्ता देने की स्थिति में हो तो निबन्धक की अनुमति से धनराशि बढ़ा सकती है।

57. सदस्य बेरोजगारी निधि में अपनी आय से प्रति रुपया छः पैसे तक अंशदान कर सकते हैं, जो बेरोजगारी या प्रसूती की दशा में उन्हें ऐसी मासिक किस्तों में लौटाया जा सकेगा, जो कमेटी निश्चित करे। ऐसे सदस्यों को, जो अपनी बेरोजगारी निधि शेष कर चुके हों, लाभ-निधि से धनराशि पाने का प्रथम अधिकार होगा।

लेखे और रजिस्टर

58. समिति निम्नलिखित रजिस्टरों को अद्यावधि रखेगी :—

(i) सामान्य तथा विशेष बैठकों तथा समिति की प्रबन्ध कमेटी की बैठकों के समस्त संकल्पों तथा कार्यवाहियों की वृत्त-पुस्तिका।

(ii) सदस्यों का रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम और पता, सदस्य होने का दिनांक, लिए गए अंश तथा ऐसे अंशों के लिए सदस्य द्वारा भुगतान की गई धनराशि और उसकी सदस्यता समाप्त होने का दिनांक तथा समाप्ति के कारण दिखाए जायेंगे।

(iii) रोकड़ बही।

(iv) उधार लेने वाले प्रत्येक सदस्य के लिये खाता (Ledger)।

(v) सनामावलि या दैनिक उपस्थिति रजिस्टर।

(vi) कार्य-रजिस्टर जिसमें समिति द्वारा उपविधियों के अधीन आरम्भ किये गए कार्य दिखाये गए हों।

(vii) समिति के सदस्यता के लिये प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर जिसमें प्रार्थी का नाम और पता, प्रार्थित अंशों की संख्या तथा अस्वीकृति की दशा में प्रार्थी को सदस्यता की अस्वीकृति का निर्णय संसूचित का दिनांक दिया होगा,

(viii) नाम-निर्देशनों का रजिस्टर (जो प्रयुक्त नियम के अधीन सदस्य द्वारा किये गए हों।

(ix) रसीद बही तथा कैशबुक।

(x) प्रमाणक (वाउचर पत्रावली)।

(xi) सामान्य खाता बही।

(xii) अधिकारियों या पदाधिकारियों की नियुक्ति का रजिस्टर।

(xiii) लाभांश का रजिस्टर।

(xiv) संविदा रजिस्टर।

(xv) ऐसी अन्य पुस्तकें जो कमेटी द्वारा आवश्यक समझी जायँ तथा निबन्धक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत की जायं।

लाभ का वितरण

59. समिति के सकल लाभ में से निम्नलिखित पदों को घटाकर वर्ष का शुद्ध लाभ निकाला जायगा :—

(i) ब्याज जो दिया गया हो।

(ii) प्रबन्ध व्यय, जो किया गया हो।

(iii) क्षति की अन्य मदें।

60. (i) समिति किसी भी सहकारी वर्ष में अपने शुद्ध लाभ में से—

(क) ऐसी धनराशि जो २ प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में क्रमित करेगी, जो रक्षित निधि कहलायेगी, और

(ख) नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुये कम से कम एक प्रतिशत नियमों द्वारा स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा-निधि में जमा करेगी।

(ii) बाटने योग्य लाभ को निकालने के लिये शुद्ध लाभ के शेष, अधिनियम की धारा ५८ की उपधारा (१) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त उपविधि (१) में दी गई मदों के निकालने के बाद, में निम्नलिखित को भी निकाल दिया जायगा :—

(i) सभी ब्याज जो अतिदेय हो,

(ii) सभी अर्जित ब्याज, किन्तु जो ऐसे सदस्यों से जिनसे ब्याज अतिदेय हो, देय न हो,

(iii) ऐसी उधार बिक्री पर जिसकी वसूली अतिदेय हो, अर्जित कमीशन या लाभ-सीमा।

इस प्रकार निकाले गये शेष बाटने योग्य लाभ को निम्न प्रकार से वितरित किया जायगा :—

(i) प्रयुक्त सहकारी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये दत्त अंश-पूंजी पर नौ प्रतिशत वार्षिक से अनधिक की दर से अंशों के लाभांश में,

(ii) साढ़े सात प्रतिशत से अनधिक लाभ तथा बेरोजगारी निधि में,

(iii) संविदे के निष्पादन में सदस्यों द्वारा उपार्जित मजदूरी के अनुपात में अथवा सदस्यों द्वारा किये गये कार्य की इकाइयों के अनुमान में सदस्यों के आश्रय लाभांश में,

(iv) सचिव तथा अन्य कर्मचारियों को अधिलाभांश जो किसी भी दशा में एक महीने के वेतन से अधिक न होगा,

(v) समिति की किसी अन्य निधि में अंशदान जैसे भवन-निधि, लाभांश समनवीकरण समिति निधि, आशोध्य ऋण-निधि, अवमूल्यन-निधि, राष्ट्रीय सुरक्षा-निधि, इत्यादि, तथा

(vi) संचित निधि बढ़ाने के लिये कोई लाभ, जो किसी वर्ष में पूर्वोक्त रीति से विनियोजित न हो सके, अगले वर्ष के लाभों में ले जाया जायेगा।

61. निधियां निबन्धक के अनुमोदन से अधिनियम की धारा ५६ की उपधारा :--

(क), (ख), (ग) तथा (घ) में वर्णित एक या अधिक रीति से विनियोजित की जायगी।

62. संचित निधि अविभाज्य होगी और कोई भी सदस्य उसके किसी निदिष्ट अंश का दावा न कर सकेगा।

63. (i) समिति के विघटन पर समिति की संचित तथा अन्य निधियाँ प्रथमतः समिति के दायित्वों के उन्मोचन में लगाई जायँगी और तत्पश्चात् दत्त अंश-पूंजी के शोधन (Repayment) में और यदि किसी अवधि के लाभ में से किसी लाभांश का भुगतान न किया गया हो तो उस अवधि के लिये लाभांश की ऐसी दर से भुगतान करने में जो ६% प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक न होगा।

(ii) इन निधियों का ऐसा अंश जो पैरा (१) में उल्लिखित भुगतानों को करने पर शेष रहे, ऐसे पूर्व प्रयोजनों या लोकोपयोगिता के ऐसे स्थानीय उद्देश्यों में और राष्ट्रीय रक्षा निधि में लगाया जायगा, जिन्हें कमेटी चुने तथा निबन्धक अनुमोदित करें। यदि समिति के अंतिम रूप से बन्द होने के तीन महीने के भीतर कमेटी कोई ऐसा चुनाव न की जिसे निबन्धक अनुमोदित करें तो निबन्धक निधियों के उपर्युक्त अंश का उपयोग पास-पड़ोस में सहकारी समितियों की सहायता करने अथवा सहकारिता आन्दोलन के संगठन अथवा विकास को प्रोत्साहित करने के लिये कर सकता है।

लेखा-परीक्षा

64. समिति के लेखों का परीक्षण निबन्धक उत्तर प्रदेश अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये यथाविधि प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जायगा। कमेटी इसके अतिरिक्त भी लेखों का परीक्षण अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से करा सकती है।

65. इन उपविधियों के निवंचन सम्बन्धी कोई विवाद उठने की दशा में, ऐसे विवाद को निवेचन हेतु समिति के सचिव द्वारा, निबन्धक सहकारी समितियों को प्रेषित किया जायगा जिनका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

66. समिति के कार्य से सम्बद्ध सभी विवादों का, जो सदस्यों के बीच कमेटी तथा किसी सदस्य के बीच में हो, निर्णय ऐक्ट तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार निबन्धक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मंडल द्वारा किया जायगा। कोई भी सदस्य किसी भी मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाहियाँ या पंचाटों (Award) के निष्पादन में ला आफ लिमिटेशन का आश्रय न लेगा।

उपविधियों का संशोधन

67. इन उपविधियों में कोई भी परिवर्तन या परिवर्द्धन इस प्रयोजन के लिये बुलाई गई विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के मतों द्वारा पारित संकल्प से ही किया जायगा। प्रतिबन्ध यह है कि निबंधक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधन अथवा ऐसे संशोधन, जिन्हें करने के लिये निबंधक धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन अपेक्षा की, केवल साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृत किए जा सकते हैं।

ऐसी बैठक की गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की कम से कम एक-तिहाई संख्या अपेक्षित होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपेक्षित गणपूर्ति बैठक में नहीं हो पाती तो निबंधक समिति को दूसरी बैठक बुलाने, जिसके लिये अपेक्षित गणपूर्ति कम करके १/५ कर दी जायगी। यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव में न हो सके तो निबन्धक समिति को अगली बैठक बुलाने के लिए गणपूर्ति कम करके १/७ करने का निर्देश दे सकता है। उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में

निबंधक इसी के साथ सदस्यों को इस बात की सूचना देने का निर्देश भी दे सकता है।

निर्वाचन

68. (क) समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन कार्यसूची के अन्तिम पद के रूप में समिति की वार्षिक सामान्य बैठक या ऐसी बैठक, जैसा धारा २६ में व्यवस्थित हो, होगा।

(ख) उसके यदि नियम 81 के उपबन्धों के फलस्वरूप समिति की सामान्य निकाय का गठन प्रतिनिधियों द्वारा होना हो तो प्रबन्ध कमेटी अपने सदस्यों में से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव कराने के लिये एक संयोजक नियुक्त करेगी। संयोजक अपने निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को चुनाव के कम से कम तीन दिन पहले एक लिखित सूचना द्वारा चुनाव की तिथि, स्थान तथा समय बतायेगा। बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुनेगा। चुनाव हाथ उठाकर होगा। चुनाव की कार्यवाही पर संयोजक तथा बैठक के सभापति के हस्ताक्षर होंगे। यह चुनाव प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के २० दिन पूर्व सम्पन्न करा लिये जायेंगे। इस बैठक की कार्यवृत्ति-पंजिका चुनाव के होने के बाद तुरन्त समिति के सचिव के पास जमा कर दी जायेगी।

69. कोई भी व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी हो जाने के पश्चात् और उस बैठक में निर्वाचन होने तक, नाममात्र या सम्बद्ध सदस्य को छोड़कर समिति का सदस्य नहीं बनाया जायगा।

70. गणपूर्ति न होने या अन्य कारणों से स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक, मूल बैठक की नोटिस की कार्य-सूची में दिए गए समय तथा स्थान पर सोलहवें दिन (जिसकी गणना में स्थगन के दिनांक को सम्मिलित करके की जायगी) को होगी और कार्य-सूची की केवल उन्हीं पदों को लिया जायगा जो मूल बैठक में रह गए हों।

71. यथास्थिति तैयार की गई मतदाता सूची और वैध नाम निर्देशन-पत्रों की अन्तिम सूची स्थगित बैठक में निर्वाचन के लिए भी लागू होगी।

निर्वाचन-विनियम

72. भाग १ के निर्वाचन विनियम उस दशा में लागू होंगे जब समिति या इस वर्ग की समितियां राज्य सरकार द्वारा नियम ४१४ के अधीन विज्ञप्ति कर दी जायं अन्यथा भाग २ में दिए गए निर्वाचन विनियम लागू होंगे।

भाग—१

73. निर्वाचन के लिए जिला मैजिस्ट्रेट, जहां पर तत्सम्बन्धी समिति का मुख्यालय है, निबन्धक के अनुरोध पर निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कोई राज्यपत्रित अधिकारी (इसे विभाग के अधिकारी से भिन्न अधिकारी जो सम्बन्धित समिति के सर्वेक्षण तथा प्रशासन से सम्बद्ध हो) नियुक्त करेगा। निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित रीति से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराए।

74. (क) किसी संगत वर्ष में निर्वाचन के लिए समिति की एक निर्वाचन उप-कमेटी होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) समिति का सचिव जो उप-कमेटी का संयोजक होगा,

(ii) समिति के सामान्य निकाय का एक सदस्य जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह स्वयं आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार न हो,

(iii) जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नियम ४१६ के अधीन नाम-निर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी और उप-कमेटी के सभापति के रूप में कार्य करेगा,

(iv) निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति।

(ख) उप-कमेटी की कार्यवाहियां अभिलिखित की जायेंगी और उन पर समिति का सचिव तथा उप-कमेटी का सभापति हस्ताक्षर करेगा।

75. समिति अपने सदस्यों को अपनी ऐसी वार्षिक सामान्य बैठक करने के लिये (जिसमें निर्वाचन हो) ४५ दिनों का नोटिस देगी जिसमें बैठक का दिनांक, समय और स्थान उल्लिखित होगा बैठक का स्थान समिति का कार्यालय या ऐसा

सार्वजनिक स्थान होगा जो यथासम्भव समिति के मुख्यालय के निकट हो और जो निर्वाचन कमेटी द्वारा निश्चित किया जाय। वार्षिक सामान्य बैठक की कार्य-सूची के साथ निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम भी होगा।

निर्वाचन उप-समिति

76. निर्वाचन उप-समिति नियम 416 से 418 के प्राविधानों को दृष्टि में रखते हुए और उपविधियों में निर्धारित रीति से मतदाता सूची तैयार करेगी, उस पर आपत्तियाँ आमन्त्रित करेगी, उनका निस्तारण करेगी, उसको प्रदर्शित करने व जिला सहायक निबन्धक के कार्यालय में दाखिल करने की व्यवस्था करेगी तथा निर्वाचन सम्बन्धी प्रोग्राम की तिथियाँ निश्चित करेगी व अग्रिम कार्यवाही करेगी।

77. मतदाताओं की सूची तथा नाम-निर्देशनों के सम्बन्ध में आपत्तियाँ समिति के सचिव को भेजी जायँगी और निर्वाचन उप-समिति द्वारा उनका निस्तारण किया जायगा। नाम-निर्देशनों के लिए प्रस्ताव जो निर्धारित प्रपत्र (ट) में होंगे और नाम-निर्देशनों को वापस लेने के प्रस्ताव भी सचिव को सम्बोधित किए जायंगे जो उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्वाचन उप-समिति के समक्ष रखेगा।

78. कोई उम्मीदवार, प्रबन्ध कमेटी के एक से अधिक पदों के लिए साथ-साथ निर्वाचन लड़ने के लिए अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिए नाम-निर्देशन-पत्र वैध पाए जायँ तो उसे केवल एक पद के लिए विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिए अपना नाम-निर्देशन-पत्र वापस लेगा। ऐसी वापसी के लिए निश्चित दिनाँक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में चूक करे तो उसके नाम-निर्देशन-पत्र अवैध हो जायेंगे।

79. वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाहियाँ नियम के उपबन्धों के अनुसरण में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति के सभापतित्व के अधीन आरम्भ की जायेंगी। बैठक का सभापति, वार्षिक सामान्य बैठक की कार्य-सूची की (निर्वाचन से भिन्न) समस्त पदों के निस्तारण के पश्चात्, कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेगा और घोषणा करेगा कि निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन

अधिकारी द्वारा किया जाय। तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचनों के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

80. (क) यदि किसी पद के लिये वैध नाम-निर्देशनों की संख्या, पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक न हों तो ऐसे उम्मीदवार जिनके वैध नाम-निर्देशन प्राप्त हुए हों ऐसी रिक्तियों की पूर्ति के लिये यथाविधि निर्वाचित किये गये समझे जायंगे और पीठासीन अधिकारी निर्वाचन बैठक आरम्भ होने पर तदनुसार घोषणा कर सकता है।

(ख) यदि किसी एक या एक से अधिक स्थानों के लिए कोई भी वैध नाम-निर्देशन न प्राप्त हो तो इस तथ्य की घोषणा भी निर्वचन बैठक आरम्भ होने पर की जायगी तथा ऐसी रिक्तियों की पूर्ति आमेलन द्वारा की जायगी।

81. यदि किसी पद के लिये वैध नाम-निर्देशनों की संख्या निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक हों तो पीठासीन अधिकारी मतदान की व्यवस्था करेगा।

82. मतदान गुप्त मत-पत्र द्वारा होगा। मतदाता क्रास चिन्ह(×)लगाएगा और तब शलाका-पत्र गुप्त रूप से शलाका पेटी में रक्खेगा। समिति अपनी निधियों से अपेक्षित संख्या में तथा प्रकार की शलाका पेटियों की व्यवस्था करेगी।

83. (क) कोई शलाका-पत्र अस्वीकार कर दिया जायगा यदि :—

(i) उस पर मतदाता की पहचान के लिए कोई हस्ताक्षर हों,

(ii) उस पर समिति की मुहर या मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो,

(iii) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हों,

(iv) उस पर भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हों।

(ख) यदि किसी शलाका-पत्र पर अभ्यर्थी या जिससे यह स्पष्ट न हो कि किस अभ्यर्थी या किन अभ्यर्थियों को मत दिया गया है तो ऐसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अस्वीकार कर दिया जाय।

84. पीठासीन अधिकारी उतने मतदान अधिकारी तथा गणना अधिकारी नियुक्त कर सकता है जिसमें उक्त प्राविजन के लिए आवश्यक हों, किन्तु प्रति-

9 R.C. 3—1972.

बन्ध यह है कि समिति या उससे सम्बद्ध समिति का कोई कर्मचारी या मतदा अधिकारी या गणना अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायगा।

85. (i) प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या और निर्वाचन फल पीठासीन अधिकारी द्वारा गणना समाप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शी घोषित किया जायगा। गणना के समय निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवा उपस्थित रह सकते हैं।

(ii) निर्वाचन फल-समिति की कार्य-वृत्ति पूंजी में भी अभिलिखित किय जायगा और उसे पीठासीन अधिकारी प्रमाणित करेगा।

(iii) समिति का सचिव समिति के सूचना पट्ट पर उसी दिन एक सूच लटकाएगा जिसमें निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नाम होंगे। सूची प निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

86. निर्वाचन में बराबर-बराबर मत होने की दशा में इस मामले क निर्णय पर्ची डाल कर किया जायगा।

87. निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका पत्र तथा अन्य अभिलेख (कस्त वाले की पुस्तिकाओं को छोड़ कर) किसी लिफाफे या पात्र में रक्खे जायेंगे और पीठासीन अधिकारी उन्हें मोहरबन्द करेगा। यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो वह भी उस पर अपनी मुहर लगा सकता है। निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार मुहर बन्द लिफाफा या पात्र-समिति के सचिव को सौंपेगा और उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति करेगा और ६ माह या निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो तो उससे अधिक समय के लिये उनको सुरक्षित अभिरक्षा के निमित्त उत्तरदायी होगा।

सभापति तथा उप-सभापति का निर्वाचन

88. (क) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन-फल की घोषणा के पश्चात्, यथा-शक्य शीघ्र सचिव निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से समिति के सभापति तथा उप-सभापति और अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिये प्रबन्ध कमेटी की पहली बैठक बुलाएगा। ऐसी बैठक की भी अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी करेगा।

(ख) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से सभापति तथा उप-सभापति चुने जायेंगे।

89. उपरोक्त निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन-पत्र, पीठासीन अधिकारी प्रपत्र (८) में, बैठक में दिये जायेंगे। पीठासीन अधिकारी उसे सरसरी तौर जाँच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आपत्तियों के सम्बन्ध में र्णय देगा और ऐसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा करेगा। ई भी उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिये नाम-निर्देशन-पत्र प्रस्तुत हीं करेगा।

90. यदि किसी पद के लिए केवल एक वैध नाम-निर्देशन हो तो पीठासीन धिकारी उस उम्मीदवार को, जिसका वैध नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त हुआ हो, उस द के लिए यथाविधि निर्वाचित घोषित करेगा।

91. यदि किसी पद के लिये एक से अधिक वैध नाम-निर्देशन हो तो पीठा-सीन अधिकारी तुरन्त निर्वाचन की उपरोक्त पद्धति को अपनायेगा।

भाग—२

92. समिति का सचिव समिति की नामावली के ऐसे सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा जो नियमों तथा समिति की उपविधियों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान के लिये अर्ह हो। ऐसी सूची वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के दिनांक को अथवा उसके पूर्व तक यथाविधिक की जायगी। सूची में अलग से (अंत में) उन सदस्यों के नाम होगी जो मतदान करने के लिए अर्ह न हों और उनके साथ ऐसी अनर्हता के कारण भी होंगे तथा ऐसी विधि के (उपविधि सहित) संगत उपबन्धों का उल्लेख भी होगा जिनके अंतर्गत ऐसी अनर्हता हो गयी हो। सूची पर सचिव तथा इस कार्य के लिये प्रबन्ध कमेटी द्वारा अधिकृत प्रबन्ध कमेटी के इस सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षर किए जायेंगे।

93. सूची में अनर्ह दिखाया गया सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के लिए निश्चित दिनांक के कम से कम ३ दिन पूर्व अपनी अनर्हता दूर कराने की कार्यवाही कर सकता है और यदि निर्वाचन के दिनांक के कम से कम ३ दिन पूर्व अनर्हता दूर कर दी जाय तो सम्बद्ध सदस्य को मतदान करने का अधि-कार होगा।

94. सदस्यों की सूची किसी भी सदस्य द्वारा निःशुल्क निरीक्षण करने के लिए समिति के कार्यालय में कार्य-समय में उपलब्ध रहेगी, यह सदस्यों को

देने जाने के लिए भी उपलब्ध रहेगी, यदि समिति की प्रबन्ध कमेटी ने ऐ संकल्प किया हो।

बैठक का दिनांक और सदस्यों को नोटिस

95. समिति की वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्था उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित किया जायगा। नोटिस उप-नियमावली अनुसार जारी की जायगी। बैठक का स्थान या तो समिति का कार्याल अथवा समिति के मुख्यालय के निकट कोई सार्वजनिक स्थान होगा जो प्रबन् कमेटी द्वारा तय किया गया हो। समिति की वार्षिक सामान्य बैठक ३० नव म्बर के पूर्व किसी दिनांक को या बढ़ाये गए दिनांक, यदि कोई हो, के भीत जिसकी अनुमति निबन्ध या निबंधक या उनके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन व्यक्ति द्वारा दी जाय, होगी।

वार्षिक सामान्य बैठक में

96. (i) प्रबन्ध कमेटी के लिए सदस्य,

(ii) पूर्ववर्ती उप-खंड (१) में निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में सभापति तथा उप-सभापति निर्वाचित किए जायेंगे :—

(क) निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के नाम-निर्देशन का प्रस्ताव तथ उसका अनुमोदन बैठक में ही किया जायगा। नामों की वापसी के, यदि कोई हो, पश्चात् निर्वाचन हाथ उठाकर होगा।

(ख) उपविधि (क) में किसी बात के होते हुए भी, यदि निबन्ध को समिति के सामान्य निकाय या समिति की प्रबन्ध कमेटी के अनुरोध पर अथवा अन्यथा, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, यह राय हो कि निर्वाचन गुप्त मत-पत्र द्वारा हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट से उपेक्षा करेगा कि वह निर्वाचन के निमित्त प्रेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करे और समिति को यह निदेश देगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का और तत्पश्चात् सभापति तथा उप-सभापति का निर्वाचन गुप्त मत-पत्र द्वारा करे।

(ग) जो निबन्धक उपविधि (ख) के अधीन निदेश दे तब बैठक में आवश्यक शलाका-पत्र तैयार किए जायंगे जिन पर निर्वाचन लड़ने वाले

उम्मीदवारों के नाम होंगे और बैठक का सभापति प्रेक्षक की उपस्थिति में गुप्त मत-पत्र द्वारा मतदान करायगा।

(घ) यदि निर्वाचन गुप्त मत-पत्र द्वारा हो तो उपविधि ८२, ८३, ८५ और ८७ के उपबन्ध यथोचित परिवर्तनों और इस परिष्कार के साथ लागू होंगे कि उपविधि ८४, ८५ और ८७ के शब्द "पीठासीन अधिकारी" का इस मामले में अभिप्राय बैठक के सभापति से होगा और निर्वाचन की कार्यवाहियों पर पूर्ववर्ती उप-खण्ड में अभिदिष्ट प्रेषक भी हस्ताक्षर करेगा।

(ङ) बराबर मत की दशा में मामले का निर्णय पर्ची डाल कर किया जायगा।

अंशदायी भविष्य निधि

97. समिति में यदि किसी भी समय ५ या ५ से अधिक कर्मचारी पूर्ण-कालिक मौलिक नियुक्ति में होंगे, तो धारा ६३ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना समिति को करनी होगी।

98. समिति अंशदायी भविष्य निधि के नाम में जमा किये जाने वाले अंशदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

(i) किसी कर्मचारी के मासिक अंशदान की दर उसके मासिक वेतन के न तो ५ प्रतिशत से कम और न १५ प्रतिशत से अधिक होगी, और

(ii) प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में समिति के अंशदान की दर वही होगी जो समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा अवधारित की जाय परन्तु निबन्धक की अनुमति के बिना वह कर्मचारी के वेतन के ६¼ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती और किसी भी दशा में कर्मचारी के अंशदान से अधिक नहीं हो सकती।

99. अंशदायी भविष्य निधि के विनियोजन पर प्रोद्भूत ब्याज अलग-अलग सम्बद्ध कर्मचारी के लेखे में, पिछले सहकारी वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक कर्मचारी के नाम में शेष धनराशि के अनुमान में या निबन्धक द्वारा समय-समय पर तदर्थ जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित रीति से जमा किया जायगा।

100. अंशदायी भविष्य निधि अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विनियोजित की जायेगी।

सामान्य

101. प्रबन्ध कमेटी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की हुई समिति की बहियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां यथाप्रमाणित समझी जायेंगी यदि उन पर उसके हस्ताक्षर तथा सभापति, उपसभापति या सचिव द्वारा ठीक प्रमाणित कर दी जायं। प्रबन्ध कमेटी ऐसी प्रमाणित प्रतियों के जारी करने के लिये शुल्क निर्धारित करेगी।

102. समिति का कोई सदस्य, कार्यालय के घन्टों में किसी समय समिति के सचिव को प्रार्थना-पत्र देकर और प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित शुल्क देकर या तो स्वयं अथवा एजेन्ट द्वारा, जो समिति का सदस्य होगा और तदर्थ लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत होगा, समिति के लेखों तथा अभिलेखों का केवल उतना निरीक्षण कर सकता है जहाँ तक उनका सम्बन्ध समिति के साथ सदस्य के व्यवहारों का होगा।

103. उस दशा में जबकि समिति के कार्य को सुचारूरूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत हो कि समिति के लिए एक मोटरगाड़ी खरीदना आवश्यक है। ऐसी दशा में प्रबन्ध कमेटी, सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित मोटरगाड़ी की किस्म तथा उसके अनुमानित मूल्य, के अधीन रहते हुए, मोटरगाड़ी खरीदने का प्रस्ताव पारित कर निबन्धक की पूर्व अनुमति से मोटर खरीद सकती है, अन्यथा नहीं।

104. समिति के किसी सदस्य, प्रतिनिधि या अधिकारियों को, समिति की, या समिति की ओर से किसी अन्य सहकारी समिति की बैठकों में भाग लेने अथवा समिति के निर्देश पर यात्रा करने की दशा में, प्राप्त यात्रा भत्ता, जिसमें दैनिक भत्ता भी शामिल है, की दरें वही होंगी जो सामान्य निकाय द्वारा नियमों के प्राविधानों तथा निबन्धक की पूर्व अनुमति के अधीन रहते हुए, निर्धारित की जाय।

105. इन उपविधियों के निर्वचन सम्बन्धित कोई विवाद उठने की दशा में ऐसे विवाद को निर्वचन हेतु समिति के सचिव द्वारा निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

106. इन उपविधियों के पंजीकरण के पश्चात ३ महीने की अवधि के भीतर, प्रबन्ध समिति का नये रूप से गठन, अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए चुनाव द्वारा किया जायगा। तदुपरान्त प्रबन्ध समिति के समस्त सदस्यों का कार्यकाल समाप्त समझा जायगा।

107. प्रबन्ध कमेटी में किसी स्थान के रिक्त रहने या होने या इनके किसी सदस्य में कोई दोष होने पर भी प्रबन्ध कमेटी के कार्य केवल इसी कारण अवैध न ठहराये जायेंगे।

PSUP—9 RC—1970. 1,000. (C)